फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी :– श्री रामलाल **विपक्षी :– राज्य**

किस्म मुकदमा – 88 रा.का.अधि. **पत्रावली संख्या : 129/22**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 16.05.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प लोपडा में पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी व राजपेरोकार उपस्थित। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट को ही बहस माना जाकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वादी द्वारा राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम रामा पिता भूरा भील गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड की प्रति, राशनकार्ड की प्रति, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोपडा द्वारा जारी प्रमाण पत्र क्रमांक 200 दिनांक 27.07.2022, मतदाता पहचान पत्र की प्रति, भामाशाह कार्ड की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादी का नाम रामलाल पिता भूरा भील अंकित है। राजपेरोकार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश कर रामा पिता भूरा भील व रामलाल पिता भूरा भील दोनों को एक ही व्यक्ति होना बताकर नाम संशोधन में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार वादी का नाम रामलाल पिता भूरा होना जाहिर होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। **–: <u>आदेश</u> :–** परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा लोपडा पटवार हल्का लोपडा की आराजी नम्बर 907 से 920 किता 14 रकबा 3.5045 हेक्टेयर भूमि में खातेदार रामा पिता भूरा भील के बजाय रामलाल पिता भूरा भील संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय सुनाया गया। **(श्रीकान्त व्यास)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली** Signature Not Verified	

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:04:39 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S.

मुकदमा नम्बर : 129/22 (वाद) GCMS No. : 2022/323

उनवान

1. श्री रामलाल पिता भूरा भील निवासी लोपडा तह. मावली।

........वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का लोपडा तह. मावली।

.........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु श्रीकान्त व्यास, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा लोपडा पटवार हल्का लोपडा की आराजी नम्बर 907 से 920 किता 14 रकबा 3.5045 हेक्टेयर भूमि में खातेदार रामा पिता भूरा भील के बजाय रामलाल पिता भूरा भील संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.05.2023 को जारी की गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:04:39 IST
Reason: SelfAttested